# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

वाद संख्याः–06/2022

1. सतीशकुमार पुत्र रूघाराम जाति गुर्डा निवासी कालू तहसील लुनकरणसर जिला बीकानेर
2. शारदा पत्नि सतीशकुमार जाति गुर्डा निवासी कालू तहसील लुनकरणसर जिला बीकानेर

वादीगण

बनाम

1. अणदाराम पुत्र केशाराम जाति नायक निवासी मालासर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. गणपतराम पुत्र केशाराम जाति नायक निवासी मालासर तहसील बीदासर जिला चूरू
3. लादूराम पुत्र केशाराम जाति नायक निवासी मालासर तहसील बीदासर जिला चूरू
4. हरकाराम पुत्र केशाराम जाति नायक निवासी मालासर तहसील बीदासर जिला चूरू
5. धूडी पुत्री केशाराम जाति नायक निवासी मालासर तहसील बीदासर जिला चूरू
6. नथूराम पुत्र हिमताराम जाति नायक निवासी मालासर तहसील बीदासर जिला चूरू
7. नारायणराम पुत्र मेघाराम जाति मेघवाल निवासी गेवरसर तहसील बीदासर जिला चूरू
8. हुकमादेवी पत्नि गुमानाराम जाति नायक निवासी मालासर तहसील बीदासर जिला चूरू
9. भंवरलाल पुत्र गुमानाराम जाति नायक निवासी मालासर तहसील बीदासर जिला चूरू
10. पूर्णा पत्नि जोराराम जाति नायक निवासी मालासर तहसील बीदासर जिला चूरू
11. श्रवणकुमार पुत्र जोराराम जाति नायक निवासी मालासर तहसील बीदासर जिला चूरू
12. गोमती पुत्री जोराराम जाति नायक निवासी मालासर तहसील बीदासर जिला चूरू
13. राजुडी पुत्री जोराराम जाति नायक निवासी मालासर तहसील बीदासर जिला चूरू
14. रामप्यारी पुत्री जोराराम जाति नायक निवासी मालासर तहसील बीदासर जिला चूरू
15. शिवराम पुत्र ओमाराम जाति नायक निवासी मालासर तहसील बीदासर जिला चूरू
16. शाखा प्रबन्धक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कातर छोटी
17. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू
18. आशाराम पुत्र बालुराम जाति मेघवाल निवासी मालासर तहसील बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :–
मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

2. अमरसिंह एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या 1,2,9,11
3. जगदीश प्रजापत एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या 6,7,18
4. प्रतिवादी संख्या 3,4,5,8,10,12 ता 16 अनुपस्थित
5. पेरोकार राज प्रतिवादी संख्या 17 उपस्थित

## —: निर्णय :—

दिनांकः— 19-11-2024

वादपत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 15 पन्द्रह के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा संख्या 262 दौ सौ बासठ तादादी 6.1715 छः दशमलव एक सात एक पांच हेक्टेयर, खसरा संख्या 285 दौ सौ पिचयासी तादादी 7.4614 सात दशमलव चार छः एक चार हेक्टेयर व खसरा संख्या 276 दौ सौ छिहत्तर तादादी 4.2113 चार दशमलव दौ एक एक तीन हेक्टेयर भूमि वाके रोही ग्राम मालासर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें सें खसरा संख्या 262 दौ सौ बासठ व खसरा संख्या 285 दौ सौ पिचयासी में वादीनी शारदा का 1/8 एक बट्टा आठ हिस्सा व वादी सतीशकुमार का 83/864 तियासी बट्टा आठ सौ चौसठ हिस्सा है तथा खसरा संख्या 276 दौ सौ छिहत्तर में वादी सतीशकुमार का 7/64 सात बट्टा चौसठ हिस्सा है जिसे आगे इसमें वादगत भूमि के नाम से पुकारा गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 15 पन्द्रह वादगत खेतों को अलग—अलग काश्त करते आ रहे है। सभी का अलग अलग कब्जा काश्त है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 15 पन्द्रह का खान—पान, रहन—सहन सब अलग—अलग है। वादगत खेतों की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त अंकित होने के कारण वादीगण को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानीयां उठानी पड रही है। इस कारण वादीगण के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि में सें अपनी हिस्सा भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये जिसके लिए वादीगण को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादीगण ने दिनांक 25.02.2022 को प्रतिवादीगण से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेतों का विधिवत विभाजन करवाकर अपने—अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादीगण साफ इनकार हो गये तथा प्रतिवादीगण ने वादीगण को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादीगण को बेदखल करेंगे तथा किसी भूमाफियों को विकय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगे, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला—चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

नहीं है। प्रतिवादीगण अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादीगण को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादीगण के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 15 पन्द्रह को वर्जित कराये कि वोह वादीगण को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय, हस्तांतरण, रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें, रूकावटें आदि स्वंय पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत खेत वादीगण के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के होने से वादीगण को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादीगण की ऐलानियां धमकियां से वादीगण को वाद हेतुक प्राप्त है। वाद में राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार है। राजस्थान सरकार के विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने के कारण एंव प्रतिवादीगण द्धारा वादीगण को जबरन बेदखल करने की ऐलानियां धमकियां दिये जाने के कारण वाद तुरन्त पेश किया जाना आवश्यक हो गया है। इस कारण राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का नोटिस दिया जाना संभव नहीं है। वादीगण द्धारा दावा पेश करने के लिए अलग से धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत न्यायालय से अनुमति लेकर यह दावा पेश किया जा रहा है। वाद वादीगण संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम मालासर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। इस कारण इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादीगण निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1,2,9,11 की ओर से अमरसिंह एडवोकेट ने उपस्थित होकर अपना वकालतनामा व जवाबदावा मय कोसशुट पेश किया जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 6,7,18 की ओर से जगदीश प्रजापत एडवोकेट ने उपस्थित होकर अपना वकालतनामा व जवाबदावा पेश किया जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 3,4,5,8,10,12 ता 16 जरीये पंजीकृत डाक से तामील होने के बावजुद अनुपस्थित रहने पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद में पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है।

प्रतिवादी संख्या 1,2,9,11 के जवाब के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादगत खसरेजात की भूमि वादीगण के संयुक्त कब्जा काश्त खातेदारी अधिकारों की पैतृक भूमि नहीं है। वादगत खसरेजात की भूमि पर न ही वादीगण का कब्जा काश्त है। वादीगण ने कब्जे के संबध में मिथ्या तथ्य अंकित किये है, जो स्वीकार नहीं इनकार किया जाता है और न ही वादीगण प्रतिवादीगण के निकट संबधी है। वादीगण का वादगत भूमि से कोई सरोकार नहीं है। वादीगण को कब्जा के अभाव में वादगत भूमि की खातेदारी अलग अलग करवाने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण ने दावा में निराधार, गैर कानूनी तथ्य अंकित किये है। वादगत भूमि अनुसूचित जाति के नायक जाति के व्यक्तियों की है जिस पर स्वर्ण जाति के व्यक्तियों को कब्जा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वादीगण गलत तथ्यों के आधार पर वादगत भूमि बाबत विभाजन की डिक्री प्राप्त नहीं कर सकते। वादीगण को वाद हेतुक प्राप्त नहीं है। वादाधार व वाद हैतुक के अभाव में दावा काबिल खारिज के है। वादीगण ने दावा प्रस्तुति बाबत न्यायालय से छुट प्राप्त नहीं की है। वादीगण दावा विधि विरूद्व होने के कारण खारिज योग्य है। कोसदावा के वादीगण को वाद हैतुक प्राप्त है। कोसदावा के वादीगण रेकार्डेड खातेदार होने के कारण उन्हें वादाधार प्राप्त है तथा कोसदावा के वादीगण कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन करवाने के कानूनन अधिकारी है।

न्यायालय द्वारा दावा में तनकियात कायम की गई।

वादी साक्ष्य में गवाह पीडब्ल्यु 1 सतीशकुमार व पीडब्ल्यु 2 शारदा के बयान दर्ज करवाये गये। पीडब्ल्यु 1 सतीशकुमार व पीडब्ल्यु 2 शारदा से वकील प्रतिवादीगण द्वारा जिरह की गई। दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण ने जमाबंदी खेत खसरा संख्या 262, 285, 276 रोही मालासर के दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये। वादी साक्ष्य वादी में और गवाह पेश नहीं करना चाहते है। इस कारण साक्ष्य वादी समाप्त की गई। पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में नियत की गई। साक्ष्य प्रतिवादी में गवाह डीडब्ल्यु 1 श्रवणकुमार, डीडब्ल्यु 2 भंवरलाल, डीडब्ल्यु 3 किशननाथ, डीडब्ल्यु 4 .कल्याणसिंह के शपथ पत्र पेश किये गये। वकील वादीगण द्वारा गवाह डीडब्ल्यु 1 श्रवणकुमार, डीडब्ल्यु 2 भंवरलाल से जिरह की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सीदासर (चूरू)

प्रतिवादी संख्या 1,2,9,11 की ओर से किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये। प्रतिवादी संख्या 1,2,9,11 की साक्ष्य बंद की गई।

बहस सुनी गई। वकुलान ने दौराने बहस दावा व कोसदावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को डिकी करने का निवेदन किया।

वकुलान की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण ने दावा के समर्थन में गवाह पीडब्ल्यु 1 सतीशकुमार, पीडब्ल्यु 2 शारदा के बयान करवाये है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वाके रोही ग्राम मालासर के राजस्व रेकार्ड को पेश कर प्रदर्शित करवाया है। प्रतिवादीगण ने अपनी ओर से साक्ष्य प्रतिवादीगण में शपथ पत्र पेश कर अपने बयान लेखबद्व करवायें है। पत्रावली के अवलोकन से स्पस्ट होता है कि वादीगण ने अपना दावा मुताबिक रेकार्ड पेश किया है। वादगत भूमि का वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर मंगवाया जाना कानूनन आवश्यक है। पक्षकारान् कब्जा काश्त के आधार पर वादगत भूमि में अपनी अपनी हिस्सा भूमि का विभाजन करवाना चाहते है जो उचित प्रतीत होता है तथा वादीगण का दावा प्रारम्भिक रूप से डिकी किये जाने योग्य है।

## —: आदेश :—

अतः पक्षकारान् का वाद व प्रतिवादीगण सं. 1,2,9 व 11 को [illegible] विभाजन का स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिकी इस प्रकार जारी की जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम मालासर खसरा संख्या 262, 285, 276 तादादी कमशः 6.1715, 7.4614, 4.2113 हेक्टेयर पक्षकारान् की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें पक्षकारान् का अपने—अपने हिस्सा अनुसार कब्जा काश्त है। तहसीलदार बीदासर से वादगत भूमि का पक्षकारान् के मुताबिक रेकार्ड, कब्जा, काश्त अनुसार विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। इस हेतु प्रारम्भिक डिकी जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 19-11-2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

# प्रारम्भिक डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

**(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)**

अदालत उपखण्ड अधिकारी बीदासर व इजलास अमीलाल यादव, आर.ए.एस.
सतीशकुमार आदि बनाम अणदाराम आदि
दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्ति बाबत।

मुकदमा नं.:–06/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कताई रु–ब–रु........हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते वादीगण मिनजानिब मुद्दई तथा श्री अमरसिंह व जगदीश प्रजापत वकील वास्ते मुदायलाई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्रारम्भिक डिकी दी जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम मालासर खसरा संख्या 262, 285, 276 तादादी कमशः 6.1715, 7.4614, 4.2113 हेक्टेयर पक्षकारान् की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें पक्षकारान् का अपने–अपने हिस्सा अनुसार कब्जा काश्त है। तहसीलदार बीदासर से वादगत भूमि का पक्षकारान् के मुताबिक रेकार्ड, कब्जा, काश्त अनुसार विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

चीज................मुबलिग.....................बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह...............
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक.......................को अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19-11-2021

मुहर

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा बीदासर (चूरू)

| मुद्दई | रुपया | पै. | मुद्दायलाई | रुपया | पै. |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | | | स्टाम्प बकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महनताना वकील पर | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | | मुतफरिक | | |
| मुतफरिक | | | | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)